

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0-507 यमुनापुल- खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54 (10.00किमी0), यमुना-मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईन्ट(21.00 किमी0), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20 किमी0) एवं एच0एस0 08 मसूरी चम्बा मार्ग से मसूरी-धनोली- (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑटिकल्स फाईबर कोबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.370है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Reliance Jio, Infocomm Limited को लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 0.34 है0 तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.212 है0 कुल 0.552 है0) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अर्न्तगत आता है"।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित कार्य हेतु चयनित वन क्षेत्रों का औसत घनत्व 0.3 है। अपितु प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष अवस्थित /वाधक न होने के कारण उक्त चयनित स्थल /स्थलों का घनत्व 0.1 आंकलित किया गया है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति हैक्टर दर रू0 6,57,000=00(रू0 छः लाख सतावन हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आगणन रू0 3,62,664=00(रू0 तीन लाख बासठ हजार छः सौ चौसठ मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी